

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प0 4(23)नविआ-11/2019

जयपुर, दिनांक:- 19 JUL 2020

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण, कर्मचारी (भर्ती एवं समान्य शर्तों) विनियम, 1984 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 2.7.2020 की अनुशंषानुसार निम्नलिखित अधिशाषी अभियन्ताओं को वर्ष 2018-19 एवं 2020-21 में उपलब्ध अधीक्षण अभियन्ताओं की रिक्तियों के विरुद्ध कार्यभार संभालने की तिथि से एल-19 (15600-39100 ग्रेड पे-7600) में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र०सं	नाम	वर्ग	चयन वर्ष	पदोन्नति प्रभावी दिनांक
1	श्री सुधीर शर्मा		2018-19	1.4.2018
2	श्री आर० के० सिंह		2018-19	1.12.2018
3	श्री अरुण कुमार शर्मा		2018-19	1.1.2019
4	श्री पी०के० व्यास		2020-21	1.4.2020
5	श्री संजय नाथावत		2020-21	1.6.2020
6	श्री अवधेश माथुर		2020-21	1.7.2020
7	श्री सुनील शुक्ला		2020-21	1.10.2020

उक्त अधिशाषी अभियन्ताओं की अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन का परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। साथ ही उक्त अधीक्षण अभियन्ता अपने पदस्थापन स्थान पर ही कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष मोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहाय, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
4. शासन वरिष्ठ उप सचिव, नविवि को विभाग की साईट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित अधिकारी-----।
6. निजी पत्रावली /रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम